संख्या- 33/2018/1058 /30-3-18-06बी/2018

प्रेषक,

विनोद कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

परिवहन अनुभाग-3 **लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2018**

विषय- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 02-01-2018 के अनुमोदन के क्रम में जनपद-इलाहाबाद में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था का नामांकन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0/आईटी), उ0प्र0 के पत्र संख्या-317स0सु0/2018-78स0सु0/ 2017, दिनांक 16-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-इलाहाबाद में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को एतदद्वारा कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त नामित कार्यदायी संस्था से प्रदेश के जनपद-इलाहाबाद में में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु मानकीकृत डिजाइन पर आधारित आगणन आज ही प्राप्त कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

संख्या-33/2018/1058(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद।
4- प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
5- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।**